<u>न्यायालय:- अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-6, अलवर</u>

पीठासीन अधिकारी :- **सीताराम मीना,** RJS **(डी.जे. कैडर)**

विविध दाण्डिक जमानत आवेदन संख्या :- 01/01/2026
सी.आई.एस. नम्बर :- 732/2026

राजेश पारिक पुत्र स्व० श्री रामचंद्र पारीक, उम्र 44 वर्ष, निवासी ग्राम गे 42 बी सुपर सिटी ज्ञानशील धावली, थाना जिला इंदौर, हाल निवासी वार्ड नं० 2 गली नं० 2 यादव पेट्रोल पंप के पास सावेर, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश, राज०

- प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए अपर लोक अभियोजक।

-अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा **483** B.N.S.S.
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 210/2026 पुलिस थाना उद्योग नगर, अलवर
अपराध अंतर्गत धारा 318(4), 316(2), 61(2)(ए) भारतीय न्याय संहिता

उपस्थिति:-

01. श्री रामप्रसाद सेवल, अधिवक्ता- प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से
02. श्री राधेश्याम शर्मा, अपर लोक अभियोजक - राज्य की ओर से
03. श्री लाखन सिंह, अधिवक्ता- परिवादी की ओर से।

-:<u>आदेश:-</u>

दिनांक:- 09-06-2026

01. प्रार्थी/अभियुक्त राजेश पारीक की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा जमानत का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा **483** B.N.S.S. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर में दिनांक 05.06.2026 को प्रस्तुत किया, जो विधिवत निस्तारण हेतु अंतरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। जमानत आवेदन पत्र की नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गयी। केस डायरी पेश हुई। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

02. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादी लक्ष्मीकांत s/o त्रिलोक चन्द पता देहली दरवाजे बाहर अलवर ने इस आशय की रिपोर्ट

दर्ज करवायी है कि उसकी शादी बुआ के घर बख्तल की चौकी पर मनीषा पारीक नाम की लडकी से हुई थी जो कि इंदौर (M.P) की रहने वाली है। जिसने उसके साथ शादी के नाम पर 1 लाख रुपये कि ठगी और जेवर की लूट कर के भाग गई, जिसमें मुख्य रूप से लडकी के बडे जीजा राजेश पारीक मो.न. 6268007014 और सागर 8999495571 शामिल थे और 27/05/2026 को लडकी और पैसे लेकर भाग गई आप से निवेदन है कि जल्द से जल्द मुझे इन्साफ दिलवाने की कृपा करे..... आदि। उक्त आधार पर पुलिस थाना उद्योग नगर में एफ आई आर संख्या 210/2026 अपराध अंतर्गत धारा 318(4), 316(2), 61(2)(ए) भारतीय न्याय संहिता में दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 31-05-2026 को गिरफ्तार किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त का धारा 480 BNSS का जमानत आवेदन विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा दिनांक 04-06-2026 को निरस्त किया गया है।

03. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्त पर परिवादी का विवाह करवाने का आरोप है। विवाह करवाने के पश्चात कोई घटनाक्रम होने पर अभियुक्त उत्तरदायी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी शेष नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 31-05-2026 को गिरफ्तार होकर न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाए।

04. विद्वान अधिवक्ता परिवादी तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उपरोक्त तर्कों का विरोध किया एवं तर्क दिया कि प्रार्थी/अभियुक्त ही घटना का मुख्य सूत्रधार है। परिवादी से उक्त अभियुक्त ने ही विवाह कराने के नाम पर रूपए प्राप्त कर धोखाधड़ी की है। प्रकरण में अन्य अभियुक्तगण की गरिफ्तारी अभी शेष है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति

का है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानम प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाए।

05. दोनों पक्षों के परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया गया व केस डायरी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त का आपराधिक रिकार्ड मान.राज.उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों की पालना में पुलिस द्वारा आपराधिक रिकॉर्ड निल होना जाहिर किया है।

06. उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। मुताबिक केस डायरी प्रार्थी/अभियुक्त पर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर षडयंत्रपूर्वक परिवादी का विवाह मनीषा पारीक नाम की लड़की से एक लाख रूपए लेकर करवाने तथा उक्त मनीषा पारीक द्वारा शादी के नाम पर एक लाख रूपए और जेवर लूटकर भागने का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त से उसकी सूचना पर 20 हजार रूपए बरामद करना बताया गया है। मुताबिक केस डायरी अभियुक्त से अन्य कोई बरामदगी शेष नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 31-05-2026 से गिरफ्तार होकर न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। अभियुक्त का पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड निल है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना है।

07. अतः ऐसी स्थिति में इस स्तर पर प्रकरण के समस्त तथ्यों-परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति आदि तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:- आदेश:-

08. अतः प्रार्थी/अभियुक्त राजेश पारिक पुत्र स्व० श्री रामचंद्र पारीक, उम्र 44 वर्ष, निवासी ग्राम गे 42 बी सुपर सिटी ज्ञानशील धावली, थाना जिला इंदौर, हाल निवासी वार्ड नं० 2 गली नं० 2 यादव पेट्रोल पंप के पास सावेर,

जिला इंदौर, मध्यप्रदेश, राज० की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 BNSS स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त 25,000/-रूपये की दो जमानतें (जिनमें से एक जमानती उसके परिवार का सदस्य या निकटतम रिश्तेदार हो एवं एक जमानती न्यायालय के क्षेत्राधिकार का स्थानीय व्यक्ति होकर स्थाई सम्पत्ति से समर्थित हो) एवं 50,000/- का स्वयं का मुचलका विचारण न्यायालय के समक्ष संतोषप्रद हर तारीख पेशी पर उपस्थिति बाबत प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दें तो प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में जमानत पर आजाद कर दिया जाए।

(सीताराम मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश सं.6,
अलवर

09. आदेश आज दिनांक 09-05-2026 को मेरे अनुदेश पर लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(सीताराम मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश सं.6,
अलवर